विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबों को जोहार!

- विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी जनजातीय भाइयों एवं बहनों के बीच सम्मिलित होकर मुझे अपार खुशी हो रही है। मैं इस दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ।
- यह दिवस अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के कई देशों द्वारा मनाया जा रहा है। यू०एन०ओ० द्वारा हर वर्ष आज के दिन को International Day of the World's Indigenous Peoples के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाये जाने का मूल मकसद उनके संरक्षण के साथ इस समुदाय का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके अंदर निहित संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है।
- हमारे देश एवं राज्य में पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ इस दिवस को मनाया जा रहा है तथा इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि इस अवसर पर हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर जनजातियों से संबंधित

कला, संस्कृति, साहित्य आदि पर गोष्ठी एवं लोक कलाओं का प्रदर्शनी और गीत व नृत्य साथ जतरा मेला का आयोजन किया जा रहा है।

- ➢ हर्ष का विषय है कि फिया फाउन्डेशन और उनके सहयोगी संस्थानों द्वारा आज ‘‘विश्व आदिवासी दिवस समारोह’’ मनाया जा रहा है। फिया फाउंडेशन द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचाने में हेतु सक्रिय रहने का प्रयास सराहनीय है।
- ➢ हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए की यह राज्य वीरों की भूमि है। इस राज्य में धरतीआबा बिरसा मुण्डा, बीर बुधु भगत, सिद्धो–कान्हु, चाँद, भैरव, जतरा उराँव, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, फूलो– झानो, मंझिया–दुन्दागा, देवमनी बंदनी और सिंगी दाई समेत अनेक सपूत हुए हैं जिन्होंने देश एवं समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इनका जन्म जनजाति कुल में ही हुआ। मैं इस अवसर पर इन महान सपूतों के साथ अन्य सभी विभूतियों के प्रति सम्मान प्रकट करती हूँ जिन्होंने देश एवं राज्य के लिए संघर्ष किया तथा अपनी जान तक की परवाह न की। हमें अपने वीर सपूतों पर गर्व है और हम सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिये।
- ➢ मुझे यह अवगत करया गया कि यह संस्था ग्राम पंचायत को सशक्त करने हेतु पूर्णतः प्रयासरत है। इसके तहत झारखण्ड राज्य के ग्रामीण विशेषकर आदिवासी, महिलाएं, आदिम जनजाति क्षेत्रों में लोगों की पहचान की गई ताकि

पंचायतों और प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। ये हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए उठाया गया एक सराहनीय कदम है।

- इस अभियान के माध्यम से गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड, पश्चिम सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर और जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड में ग्रामसभाओं को मजबूत कर सरकार की योजनाओं को सफल बनाया जाना काफी उत्साहवर्द्धक है। महत्वापूर्ण बात यह कि ये सभी प्रखंड भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र हैं।
- इस अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में जागरूकता का कार्यक्रम चलते हैं जिससे उन इलाके के आदिवासी, गैर आदिवासी, कमजोर तबके के लोग, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। निश्चित रूप से शासन व्यवस्था में लोगों की भागीदारी जितनी अधिक होगी हमारा समाज उतना ही प्रगतिशील होगा।
- इसके के माध्यम से ग्राम के लोग एकजुट होकर के अपने गांव से सम्बधित बुनियादी सुविधाएँ जैसे शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली पानी, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आधारभूत संरचनाएं और सामाजिक सुविधाएँ बेहतर तरीके से ले पा रहे हैं, अपनी मांगों को पंचायत के माध्यम से सरकार तक भेज रहे हैं और सरकार हरेक मांग के प्रति गंभीर है. गाँव में मूलभूत सुविधा से लेकर हरेक परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वावलंबी बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

➢ झारखंड राज्य में लगभग 3.25 करोड़ से अधिक की आबादी में जनजातियों की संख्या आबादी का लगभग 27 प्रतिशत है। राज्य में 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें आदिम जनजातियाँ भी शामिल हैं। जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा गाँवों में निवास करते हैं और खेती इनकी आजीविका का मुख्य साधन है।

➢ मैं जानती हूँ कि पठारी भू-भाग होने के कारण वर्षा जल का बहाव हो जाना इस राज्य के किसानों के लिए अच्छी खेती में बड़ी बाधा है। हमारे किसान जल संचयन के प्रति जागरूक हों तथा खेत का पानी खेत में ही रहे, इस दिशा में कार्य कर वर्षा जल का सिंचाई कार्य में बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हर जगह की मिट्‌टी अलग-अलग होती है। यदि आप मिट्‌टी के अनुकूल कृषि कार्य करेगें तो ज्यादा लाभदायक होगा। इसके लिए आपको जागरूक होकर वैज्ञानिक तकनिकी का भी सहारा लेना होगा। बहुत से लोग मजदूरी कर भी अपना जीवनयापन कर रहे हैं। मनरेगा जैसी योजनायें हैं, इससे जुड़कर भी रोजगार के साधन हासिल कर सकते हैं तथा आपको रोजगार की तलाश में पलायन नहीं करना पड़ेगा।

➢ प्राकृतिक सौन्दर्य से सुशोभित इस राज्य को संविधान की पाँचवीं अनुसूची में शामिल किया गया है ताकि इस क्षेत्र में निवास कर रहे जनजातियों का सर्वांगीण विकास हो सके। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित है। इन योजनाओं का बेहतर तरीके से लागू होने पर इनका विकास जरूर होगा। कल्याणकारी योजनाओं से जनजातियों की

दशा एवं हालत में सुधार तो हुई है, परन्तु इसे और कारगर बनाने की आवश्यकता है। जनजातियों को भी अपने अधिकारों के प्रति व उनके लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होने की जरूरत है।

- ➢ जनजातियों को शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक होने की जरूरत है। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक तरक्की में ज्ञान की अहम भूमिका होती है। कहते हैं- ज्ञान ही शक्ति है। ऐसे में जरूरी है कि सभी शिक्षित हों। चाहे वो बालक हो या बालिका। उनकी साक्षरता दर भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। सरकार द्वारा उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजनायें चलाई जा रही है। हालांकि पूर्व की तुलना में जनजाति समुदाय के लोगों में पढ़ाई के प्रति ललक बढ़ी है। मैं देखती हूँ कि हमारी बिटिया बहुत ही पढ़ने के प्रति बहुत उत्साहित रह रही हैं। ये अच्छा संकेत है।
- ➢ अंत में एक बार पुनः आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनायें। राज्य के सभी ग्रामीण अपने अधिकारों एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक हों और उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिले, यही कामना है।

जय हिन्द! जय झारखण्ड!